मुन्तकिली प्रकरण संख्या 31/2019 (RCMS : 2019/00051) शिशपाल पुत्र गुलाब सिंह जाति जाट निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उपतहसीलदार(राजस्व), मिर्जेवाला 2. रमणदीप कौर पत्नी श्री कुलदीप सिंह जाति मजहबी सिख **3. मुखराम** पुत्र श्री कालूराम जाति बावरी **4.सुभाष** पुत्र श्री दलीप जाति सुथार **5. जसपाल कौर** पत्नी जसवीर सिंह जाति तरखान **6. कुलविन्द्र सिंह** पुत्र श्री राजपाल जाति तरखान **7. वेदप्रकाश** पुत्र महावीर जाति मेघवाल **8. कृष्णा** पत्नी चन्दूराम जाति कुम्हार **9. राजपाल कौर** पत्नी मुखत्यार सिंह जाति मजहबी **10. सतपाल** पुत्र पुरखाराम जाति कुम्हार **11. परमेश्वरी** पत्नी श्री गौरीशंकर **12. दर्शन सिंह** पुत्र हरीसिंह जाति तरखान **13. दौलतराम** पुत्र भीमाराम जाति बावरी **14. रानी** पुत्री पन्नराम जाति धानक **15. रजेश** पुत्र रानीदेवी जाति नायक **16. हरजिन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी गांव मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर**

22.07.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी शिशपाल स्वयं एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी शिशपाल का कथन है कि उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार, मिर्जेवाला के न्यायालय में लम्बित प्रकरण सरकार बनाम रमनदीप कौर पत्नी कुलदीप सिंह अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम में न्याय न मिलने की संभावना को लेकर यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर आप द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से बार–बार टिप्पणी मंगवाये जाने पर भी, उनके द्वारा टिप्पणी नहीं भिजवाई गई है, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए प्रकरण को शीघ्र निस्ताराण हेतु अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जावे।

इसके विपरीत राजकीय अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र जिस उपतहसीलदार, मिर्जेवाला के विरूद्ध पेश किया था उनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है इसलिए अब यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है अर्थात फलहीन हो गया है। इसलिए इसे इसी आधार पर खारिज किया जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें दोनों पक्षों के तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उपतहसीलदार, मिर्जेवाला के न्यायालय में लम्बित प्रकरण सरकार बनाम रमनदीप कौर वगैरहा अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना के साथ यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र धारा 54 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में पेश किया है और प्रार्थना की है कि उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जान बूझकर निर्णय में देरी कर रहा है इसलिए अन्यत्र न्यायालय में मुंतकिल किया जावे। यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र दिनांक 09.01.2019 को प्रार्थी शिशपाल द्वारा इस न्यायालय में उपतहसीलदार, मिर्जेवाला के विरूद्ध पेश किया था। उक्त प्रकरण में **प्रार्थी शिशपाल किसी प्रकार से कोई पक्षकार के रूप में नहीं है, इसलिए वह इस मामले में किसी प्रकार से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है और दूसरा जिस उपतहसीलदार के विरूद्ध यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया था उसका अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है। इसलिए यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति नायब तहसीलदार, मिर्जेवाला को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर